Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 4 ~ Issue 12 (2016) pp: 105-107
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

"भारत में निर्वाचन आयोग एवं चुनाव सुधार "

डॉ0 जितेन्द्र बहादुर सिंह
एसो0प्रो0 – राजनीति विज्ञान
पं0 राम लखन शुक्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
आलापुर, अम्बेडकरनगर, उ0प्र0

शोध सारांश

राजनीति में जटिल आंतरिक चरित्र और गठबंधन की अंतहीन संभावनाओं के चलते भारत के चुनाव का अनुमान लगाना बेहद कठिन है। भारत के मतदाता संसद (उच्च सदन) से निकाय (निचले सदन) के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। क्षेत्र के हिसाब से दुनिया के सातवें बड़े और दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले देश में चुनाव कराना बेहद जटिल, खर्चीला, दुरूह कार्य है। भारतीय चुनाव में सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करना आम बात प्रतीत होती है। दलीय लाभों के लिए प्रशासनिक तंत्र के दुरूपयोग के विरूद्ध विपक्षी दल हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी विपक्षी दल सत्तारूढ़ हुआ तो वह भी इस दोष से मुक्त नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त जाली व फर्जी मतदान की बढ़ती प्रवृत्ति निर्वाचन आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मचारी न होना, डाक द्वारा प्राप्त होने वाले मतों के संदर्भ मे पर्याप्त अवसंरचना का अभाव इत्यादि है। इस राजनीतिक प्रणाली को सुधारने के, लिये समाज और उसके तंत्रो में सुधार की आवश्यकता है। यहीं से चुनावी सुधार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिये सब से अच्छे नागरिकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में चुना जाए।

शब्दावली – चुनाव सुधार, निर्वाचन पद्धति, मतदान व्यवहार, मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया, धनबल, बाहुबल, चुनावी भ्रष्टाचार, जांच आयोग, निर्वाचन सुधार समिति, नोटा, मतदान जागरूकता, मतदाता पहचान पत्र आदि।

लोकतंत्र की सबसे प्रसिद्ध एवं सर्वमान्य परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहमलिंकन के शब्दों में – ''लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए'' शासन है अर्थात जनता के प्रति जवाबदेह और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। आज जो लोकतंत्रीय सरकार का स्वरूप दिखाई देता है वह है प्रतिनिध्यात्मक सरकार। जब प्रतिनिध्यात्मक सरकार की बात आती है, तो चुनावी व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है, जो जनमत को अपने कियाकलाप, निष्पक्षता और इमानदारी से विश्वास प्राप्त कराती है, जिसमें सरकारों के प्रति निष्ठा प्रमाणित करती हैं। भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने इस बात को बखूबी से जाना और इसके लिए अनुच्छेद 324 से 329 तक संवैधानिक प्रावधान किए हैं, जिसके तहत एक निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। जो संपूर्ण देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों का एवं राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन कराता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है जिसके अंतर्गत वह निर्वाचनों का निरीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। अनुच्छेद 324(2) के तहत कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतनी ही संख्या में निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने कि राष्ट्रपति समय – समय पर मनोनीत करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। इसके साथ यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की सलाह से प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कराता है। उल्लेखनीय है कि राज्यों में पंचायतों और निगमों के चुनाव का संचालन राज्य चुनाव आयोग कराता है।

अपने स्थापना 25 दिसंबर 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के काम के बोझ को कम करने के लिए दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया। तब से यह निर्वाचन आयोग बहुत सदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा। हालांकि कि 1990 में दो निर्वाचन आयुक्तों के पदों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन बाद में पुनः अक्टूबर 1993 में यह व्यवस्था पुनः बहाल कर दी गयी। तत्पश्चात आयोग तीन सदस्यीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 324 के कुछ प्रावधान किए गए हैं जैसे – निर्वाचन आयुक्तों

*Corresponding Author: डॉ0 जितेन्द्र बहादुर सिंह

को अपनी निर्धारित पदावधि में स्वतंत्रता है। उसको अपने पद से उसी विधि से हटाया जा सकता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को।

निर्वाचन आयोग के कार्य – चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन, समय – समय पर मतदाता सूची तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव से संबंधित विवादों में न्यायालय की तरह काम करना, चुनाव आचार्यसंहिता तैयार कराना, संसद एवं राज्य विधान परिषद के सदस्यों की आयोग्यताओं के संबंध में क्रमशः राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को सलाह देना। इसके साथ ही भारत में साफ सुथरे एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का प्रर्वेक्षण एवं निर्देशन करना शामिल है।

चुनाव सुधार – भारतीय संविधान में चुनाव आयोग को भारतीय चुनाव संचालित करने के दायित्व सौंपे हैं। लेकिन यदि हम इसके कार्यों एवं भूमिका को स्थापना से आज के वर्तमान समय में तुलना करें तो हम पाएंगे कि यह दो काल खंडों में बांटा है – प्रथम 1951 से 1990 तक तथा द्वितीय, 1991 से अद्यतन।
प्रथम काल खंड में चुनाव आयोग ने एक शांति युग से एक ऐसी संस्था के रूप में भूमिका निभाई, जिसे लेकर के इस पर आरोप लगे कि यह सरकार के अधीन संस्था के रूप में है ना कि स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में। लेकिन 1990 के बाद स्थित बदल गई जब चुनाव निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर श्रीटीएन सेशन की नियुक्ति हुई। उन्होंने ऐसी स्थिति में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का निश्चय किया, जब भारी शोर शराबा, धनबल, सत्ता का दुरूपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कुछ परम्पाराएं डालीं जैसे– 1. लोक सभा एवं विधान सभा उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्चों का व्यौरा निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रारूप पर देना आवश्यक है।
2. चुनाव प्रचार के सरकारी एवं निजी भवनों को प्रचार हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा।
3. चुनावी घोषणा के पश्चात कोई नीति संबंधी घोषणा शासन नहीं करेगा।
4. चुनाव के समय मंत्री की सरकारी यात्रा एवं शास्त्रों के लाइसेंस आदि सभी पर प्रतिबंध होगा।
5. फर्जी मतदान को रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र का प्रारंभ हुआ। यद्यपि यह पूर्ण रूप से चौदहवीं लोकसभा के चुनाव मई 2004 में ही लागू हो पाया।

भारत में अब तक 16 बार आम चुनाव हो चुके हैं जिसमें 7 बार सत्ता परिवर्तन हुआ (1977, 1980, 1991, 1998, 2004 तथा 2014)। सामान्यता सभी चुनाव शांति पूर्ण ढंग से संपादित हुए। लेकिन कुछ बातें हमें इन चुनावों में देखने को मिली जो हमारे लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। जैसे – चुनाव में बढ़ती धन शक्ति, फर्जी मतदान, चुनाव में बाहुबली शक्ति का प्रयोग तथा मतदान केन्द्रों पर कबजा, आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों का राजनीति में प्रवेश आदि।

इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए समय–समय पर गठित समितियां, जैसे – तार कुंडे समिति (वर्ष 1974–75), चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति (वर्ष 1990), राजनीति के अपराधीकरण पर बोहरा समिति (वर्ष 1993), चुनावों में राज्यवित्त पोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति (वर्ष 1998), चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 1999), चुनाव सुधारों पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 2004), शासन में नैतिकता पर वीरप्पा मोइली समिति (वर्ष 2007), चुनाव कानूनों और चुनाव सुधार पर तनखा समिति (वर्ष 2010) एवं संयुक्त संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि मतदान केंद्र पर कब्जा करने वाले केंद्रों पर पुनर्मतदान, आरक्षित सीटों में चक्रानुक्रम की पद्धति अपनायी जाय, इलेक्ट्रानिक ओवटिंग मशीन का प्रयोग शुरू हों, सभी मतदाताओं के फोटो युक्त पहचान पत्र दिये जाये, चुनाव में धन की भूमिका को रोकने के लिए दलों के आय व्यय का विवरण लिया जाए, संसद एवं राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव की व्यवस्था तथा चुनाव खर्च का आंशिक खर्च या पूर्णत्या भार राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाए।

चुनाव में बाहुबल को रोकने के लिए संवेदनशील निर्वाचन केंद्रों को चिन्हित किया जाए तथा वहां पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाए तथा चुनाव के दौरान समस्त व्यक्तिगत शास्त्रों को प्रतिबंधित कर उन्हें जमाकर लिया जाए। इसके साथ ही कुछ अन्य उपाय जैसे – अपराधिक छवि के नेताओं को रोकने के लिए 20 सितंबर 2013 में संसद ने बिल पास किया जिससे अपराधी या न्यायपालिका द्वारा दंडित किए गए व्यक्ति संसद जाने से वंचित हो जाएंगे, निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्याओं को रोकने के लिए जमानत की राशि बढ़ाने की बात कही गई है तथा यह कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 34 में संशोधन कर यह अधिकर आयोग को सौंप दिए जाएं, जिससे इस कानून में संशोधन की जरूरत ना पड़े। दलबदल के तहत सांसदों और और विधायकों की सदस्यता को आयोग्य ठहराने का अधिकार ठहराने पीठासीन अधिकारी के बजाय चुनाव आयोग को सौप दिया जाए। इस के साथ ही ' "NONE OF THE ABOVE" का प्रावधान करके , "RIGHT TO RECALL" की बात कही जा रही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग ने एक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चनाव कराने के लिए पर्याप्त सुधार किए हैं और विशेषकर इन सुधारों का श्रेय कुछ निर्वाचन आयुक्तों को देना पड़ेगा, जिन्होंने अपने कार्यों से समितियों एवं आयोगों के गठन करने के लिए मजबूर किया, जिससे कि चुनाव सुधारों को लागू किया जाए।

वर्तमान समय में फर्जी एवं दोहरा मत रोकने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। अब मतदाता का नाम दो जगह होने पर एक ही जगह मतदान कर पाएगा। निर्वाचन अयोग का यह कदम चुना सुधार में महती भूमिका अदा करेगा। इसके अलावा चुनाव सुधार में एक्जिटपोल पर प्रतिबंध, चुनावी खर्च पर सीलिंग, सरकारी कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान, जागरूकता और प्रचार, 2013 से नोटा व्यवस्था (NONE OF THE ABOVE), मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल, कंप्यूटरीकृत डेटा बेस का

*Corresponding Author: डॉ0 जितेन्द्र बहादुर सिंह

निर्माण व्यापक फोटो इलेक्टोरल सेवा, फर्जी और डूप्लीकेट इंट्री को खत्म करने के लिये डी–डूप्लीकेशन तकनीकि लाना, मतदान प्रक्रिया की विडियो रिकॉर्डिंग कराना।

साफ सुथरे चुनावों और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसे में महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू कराना बहुत जरूरी है ताकि लोकतंत्रिक, भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त हो कर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव एवं चुनावी प्रक्रिया का निष्पक्ष एवं पारदर्शी होना बहुत ही आवश्यक है। चुनावी प्रक्रिया से राजनीतिक संस्थाओं की वैधता और जनमत का विश्वास बढ़ता है। जिससे राजनीतिक स्थायित्व को बल मिलता है। शांति और सुव्यवस्था का वातावरण स्थापित होता है। सरकारों को नीतिगत फैसले लेने में आसानी होती है। दलबंदी एवं गुटबंदी इन सारी राजनीतिक बुराइयों से थोड़ा बचा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथावली

1. फाडिया, बी0एल0, भारतीय शासन एवं राजनीति साहित्य भवन पब्लिकेषन, आगरा 2006
2. जैन, पुखराज, आगरा, साहित्व भवन पब्लिकेषन, भारतीय शासन एवं राजनीति, 2010
3. सईद, एस0एम0, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, सुलभ प्रकाषन, 2003
4. लक्ष्मीकांतख एम0, भारतीय राजव्यवस्था टाटा मैक्ग्रा, हिल पब्लिषिंग कंपनी लिमिटेड न्यू दिल्ली, 2008
5. बसु, डी0डी0, भारत का संविधान एक परिचय – वाधवा एंड कंपनी, नई दिल्ली, 2003 आठवां संस्करण
6. कष्यप, संभाष संसदीय प्रक्रिया, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर 2006
7. गेना, सी0बी0, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 2000
8. कष्यप, सुभाष हमारा संविधान भारत का संविधान और संवैधानिक विधि– सातवां संस्करण, इंडिया, नेषनल बुक ट्रस्ट 2022 (पृष्ठ सं0 – 127–128)

*Corresponding Author: डॉ0 जितेन्द्र बहादुर सिंह